

19/7/22

उभयपक्ष के अभिभावक उपरोक्त प्रार्थी रामनाथ की ओर से दिनांक 18/4/22 को प्रस्तुत प्राणपत्र पर प्रार्थी एवं उनके अभिमां को सुना गया। अपीलकर्ता प्रार्थी रामनाथ का कथन है कि वह उक्त अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है अपील को विद्रो करना चाहता है अतः प्रार्थी का उक्त प्राणपत्र स्वीकार किया जाकर अपील विद्रो करने के आदेश दिये जाते हैं परावली फौजल शुमार होकर नुम्बर से कम की जाकर शरिखल शकत है।

अनिल कुमार अग्रवाल
जिला कलक्टर
धौलपुर (राज०)

रामनाथ
Advocate
A.P.K.